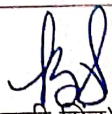


कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासन के पत्र संख्या- 723/15-7-2025 दिनांक 25.06.2025 के माध्यम से संस्थाओं द्वारा मान्यता हेतु आवेदन किये जाने सम्बन्धी पोर्टल पर तकनीकी समस्या के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-3 में निर्धारित तिथियों के क्रम में सत्र- 2025-2026 हेतु मान्यता आवेदन की तिथियों में निम्नवत् संशोधन किया गया है:-

वर्तमान व्यवस्था	सत्र- 2025-2026 हेतु प्रस्तावित व्यवस्था
3(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आनलाइन आवेदन पत्र उन वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।	3(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आनलाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 जून (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 जून से 30 जून तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 30 जून के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन- पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/ विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगा:- (1) 15 मई तक प्राप्त आवेदन- पत्रों की सूची-31 मई तक (2) 31 मई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 10 जून तक अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा।	(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन- पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/ विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगा:- (1) 15 जून तक प्राप्त आवेदन- पत्रों की सूची-30 जून तक (2) 30 जून तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 10 जुलाई तक


(भगवती सिंह)
सचिव।

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
6. अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/प्रयागराज/गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
7. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे भी अपने स्तर से उक्त विज्ञप्ति का व्यापक रूप से प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।


(भगवती सिंह)
सचिव।